

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त, 2000 (श्रावण 13, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) जम्मू और काश्मीर में आतंकवादियों द्वारा किये गये नरसंहार में मृत व्यक्ति;
- (2) हिमाचल प्रदेश में हुई अतिवृष्टि से आई बाढ़ में मृत व्यक्ति.

2. प्रश्नोत्तर

पृथक्कृत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हुकुमसिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) (क) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सहकारिता विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 3078-3787-98-पन्द्रह-1, दिनांक 16 दिसम्बर, 1998;

(ख) क्रमांक एफ-15-40-97-पन्द्रह-1, दिनांक 12 अप्रैल, 1999;

(ग) क्रमांक एफ-5-2-99-पन्द्रह-1, दिनांक 1 मई, 1999;

(घ) क्रमांक एफ-15-40-97-पन्द्रह-1, दिनांक 15 जून, 1999;

(ङ.) क्रमांक 3135-1157-99-पन्द्रह-1, दिनांक 14 अक्टूबर, 1999; तथा

(च) क्रमांक एफ-15-27-97-पन्द्रह-1, दिनांक 20 जून, 2000.

पटल पर रखेंगे.

4. नियम 136 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, दतिया जिले के भरसूला ग्राम में पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, एडवोकेट विद्यावती पटेल, डॉ. छबिलाल रात्रे, सदस्य, प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षित वर्ग को अवसर न मिलने की ओर राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सुधाकर बापट, सदस्य, सागर जिले के बीना क्षेत्र के कुरवाई राज्य मार्ग पर लूट की घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्रीमती सुशीलादेवी ठाकुर, सदस्य, विदिशा नगर स्थित खरी फाटक क्षेत्र में अवैध निर्माण होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(5) सर्वश्री मुन्ना सिंह, मुंशीलाल, लालसिंह राणावत, सदस्य, भिण्ड जिला मुख्यालय से एक छात्र तथा ग्राम मेहरा निवासी एक व्यक्ति का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बुजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर जिले के बालीदा बाजार पुलिस द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री नरेन्द्र बिरधरे, सदस्य, शिवपुरी जिले में दैनिक वेतन भोगी वन कर्मियों के नियमितकरण में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री अजय चन्द्राकर (डाला), बुजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, छत्तीसगढ़ अंचल में हेपेटाइटिस-बी रोग का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के बैहर नगर पंचायत के कर्मियों को वेतन न मिलने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के वनों में अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री महेश तिवारी, सदस्य, रायपुर एवं बस्तर संभाग में फर्जी प्रमाणपत्रों का उपयोग होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री बुजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर (डाला), लीलाराम भोजवानी, सदस्य, रायपुर संभाग के कुछ जिलों में अवैध शराब की बिक्री होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री बनवारीलाल, सदस्य, कोरबा जिले में स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी द्वारा प्रदूषित रसायन छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री संजीव शाह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी वन परिक्षेत्र में तेन्दूपत्ते की तस्करी होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री जगदीश मुखेल, सदस्य, धार जिले के धरमपुरी क्षेत्र में तालाबों के निर्माण में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल के गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मजदूर विरोधी कार्यवाही किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

